न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 191/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

रिलायंस एसेट रिकंसट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी तरूण मोर्य **पंजीकृत कार्यालयः**– 11वीं मंजिल, नोर्थ साईड, आर–टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव, (पूर्व), मुम्बई महाराष्ट्र–400063

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **भानू प्रताप पुत्र रामलाल,** निवासी–84, जलदाय विभाग, टंकी के रास्ते पर, ग्राम मंगलूणा, लक्ष्मणगढ, सीकर, राजस्थान–332318
2. **आशा देवी पत्नि भानू प्रताप,** निवासी–84, जलदाय विभाग, टंकी के रास्ते पर, ग्राम मंगलूणा, लक्ष्मणगढ, सीकर, राजस्थान–332318
3. **रामलाल पुत्र दुर्गा राम,** निवासी–84, जलदाय विभाग, टंकी के रास्ते पर, ग्राम मंगलूणा, लक्ष्मणगढ, सीकर, राजस्थान–332318
4. **सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवभगवान,** निवासी–मंगलूणा, लक्ष्मणगढ, सीकर, राजस्थान–332318

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः– 25 नवम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री रामस्वरूप शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **भानू प्रताप पुत्र रामलाल, आशा देवी पत्नि भानू प्रताप, रामलाल पुत्र दुर्गा राम** एवं **सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवभगवान** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **भानू प्रताप पुत्र रामलाल** के स्वामित्व की बंधक आवासी सम्पत्ति **बुक संख्या**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

42, पट्टा नं. 59, ग्राम मंगलूणा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर (राज.) में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 128 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में प्रेमसिंह का मकान, पश्चिम दिशा में सांवरमल जाजोदिया का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में करणी सिंह का मकान स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग सम्मिलित हैं। उक्त सम्पत्ति को बंधक बनाकर **कुल ₹2,00,000/– (अक्षरे रूपये दो लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.08.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री हरीश शर्मा उपस्थित आये हैं, परन्तु बकाया ऋण भुगतान से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **09.08.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **भानू प्रताप पुत्र रामलाल, आशा देवी पत्नि भानू प्रताप, रामलाल पुत्र दुर्गा राम** एवं **सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवभगवान** की ओर से

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **भानू प्रताप पुत्र रामलाल** के स्वामित्व की बंधक आवासी सम्पत्ति **बुक संख्या 42, पट्टा नं. 59, ग्राम मंगलूणा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 128 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में प्रेमसिंह का मकान, पश्चिम दिशा में सांवरमल जाजोदिया का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में करणी सिंह का मकान स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग सम्मिलित हैं। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **25 नवम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर